न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 254/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/418**
दायर दिनांक :– 05.08.2025 **निर्णय दिनांक :– 29.05.2026**

01. तुलछी पत्नी पुराराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
02. पुराराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

प्रार्थीगण

बनाम

1. हरखु पत्नी भागीरथराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. भागीरथ पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री सुभाष विश्नोई अधि.प्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है कि ग्राम चिमाणा पटवार हल्का चिमाणा तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 405 रकबा 16.1874 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 376 रकबा 7.3005 हैक्टेयर में प्रार्थी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी का संयुक्त रूप से कब्जा है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर जाली लगाकर तारबंदी की हुई है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से काश्त करते है। प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज है व अपने हिस्से पर काश्त करते है। जिसका प्रार्थीगण बंटवाड़ा करवाने का हकदार है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण को बलपूर्वक अपने हिस्से की भूमि से बेदखल कर देता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन कर पाना सम्भव नहीं है। इसलिये प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक चले आ रहे कब्जा काश्त में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद्पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादग्रस्त भूमि ग्राम चिमाणा पटवार हल्का चिमाणा तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 405 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 376 रकबा 7.3005 हैक्टेयर के राजस्व अभिलेख जमाबंदी का अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के नाम सहखातेदारी की दर्ज है। वादग्रस्त भूमि के संयुक्त खातेदारी के चलते प्रत्येक खातेदार का इंच इंच पर कब्जा काश्त है। अगर वादग्रस्त भूमि का अप्रार्थीगण द्वारा बेचान, हस्तान्तरण, निर्माण आदि कर देने वादग्रस्त भूमि की प्रकृति व कब्जा काश्त में परिवर्तन हो सकता है जिससे वाद बाहुल्यता बढ सकती है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

वादग्रस्त भूमि ग्राम चिमाणा पटवार हल्का चिमाणा तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 405 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 376 रकबा 7.3005 हैक्टेयर के राजस्व अभिलेख जमाबंदी का अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के नाम सहखातेदारी की दर्ज है। वादग्रस्त भूमि के संयुक्त खातेदारी के चलते प्रत्येक खातेदार का इंच इंच पर कब्जा काश्त है यदि दौराने वाद विवादित संपति की यथास्थिति नहीं रखी गई तो मूलवाद के निर्णय तक संपति में हस्तान्तरण व अंतरण हो सकता है उसकी स्थिति परिवर्तित हो सकती है अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुवे है।

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि अस्थाई व्यादेश इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि ग्राम चिमाणा पटवार हल्का चिमाणा तहसील घंटियाली खसरा नम्बर 405 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 376 रकबा 7.3005 हैक्टेयर भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व अभिलेख एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखने हेतु उभय पक्ष को पाबंद किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Satya...

(सत्य नारायण–I आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)